

**ग्राम पंचायत टौरु विकास खण्ड व तहसील नगरोटा बगवां जिला काँगड़ा
हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि:-01-04-2013 से 31-03-2016

भाग-एक

- 1 **{क} प्रस्तावना:-** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, टौरु, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 1-4-2013 से 31-3-2016 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति विन्ता देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री विक्रम चन्द	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जवन सिंह	06/2001 से लगातार

{ ख } गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में}
1.	4.2 .	रोकड़ वही से बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अंतर	0.84
2.	8	अनुदान राशियों का अवरोधन ।	6.11
3.	9	औपचरिकताओं के बिना खरीद करने बारे ।	0.45
4.	10	निर्माण सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे ।	0.42
5.	11	बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे ।	0.07

भाग – दो

- 2 वर्तमान अंकेक्षण:-** ग्राम पंचायत टौरु विकास खण्ड व तहसील नगरोंटा बगवां जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2013 से 31/03/2016 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण /जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं ,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 17-10-2016 से 20-10-2016 तक के दौरान ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया । आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 04 /13,02/15 व 01/16 तथा व्यय की विस्तृत जाच के लिए माह 03/14, 06/14 व 12/15 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

- 3 अंकेक्षण शुल्क:-** ग्राम पंचायत टौरु , विकास खण्ड नगरोंटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 4/13 से 3/16 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4000/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक,स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 227 दिनांक 20 -10-16 द्वारा सचिव , ग्राम पंचायत टौरु से अनुरोध किया गया

- 4 वित्तीय स्थिति:-** ग्राम पंचायत टौरु द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{1} स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत टौरु के अवधि 4/13 से 3/16 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	134069	31798	165867	1784	164083
2014-15	164083	15197	179280	6664	172616
2015-16	172616	23657	196273	57868	138405

{2}अनुदान :-ग्राम पंचायत टौरु के अवधि 4/13 से 3/16 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	489369	588598	1077967	667435	410532
2014-15	410532	523741	934273	555276	378997
2015-16	378997	761968	1140965	529825	611140

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता खाता सं	राशि
1.	KCCB NAGROTA BAGWAN	20012007913	659165
2.	HGB DHEERA	87720100069406	5573
		हस्तगत राशि	771
		कुल जमा राशि	665509

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

(क) दिनांक 31-3-16 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 665509

(ख) दिनांक 31-3-16 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष ₹ 749545

31.3.2016 को बैंक शेष तथा वित्तीय स्थिति में अंतर ₹84036

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करने के कारण ₹0.84 लाख का अंतर :- ग्राम पंचायत टौरु की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था ।वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31-3-16 को पैरा 4.1 के अनुसार रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्त शेष में ₹84036 का अन्तर था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वही को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 रोकड़ बही का निर्माण नियमानुसार न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिए पृथक खाता खोला जायेगा । यह खाता पंचायत निधि खाता -क के रूप में जाना जायेगा । इसी तरह,नियम-3 में सहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिए आबंटित निधियां हेतु पृथक खाता खोला जाएगा और पंचायत निधि

खाता-ख जाना जायेगा। परन्तु जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि में पंचायत की अपनी आय के स्रोत की व अनुदानों के लिए एक ही रोकड़ बही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है जो की अनियमित है। अतः नियमानुसार रोकड़ बही का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में पंचायत निधि खाता -क व ख के अनुरूप रोकड़ बही का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी । इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी समय की बर्बादी हुई है । इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये ।

7 गृह-कर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के मांग व प्राप्ति रजिस्टर उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान स्वः स्रोत , गृहकर, इत्यादि से प्राप्त आय से सम्बन्धित मांग व प्राप्ति रजिस्टर आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसके अभाव में गृह-कर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के कुल वसूली की सत्यता व शेष वसूली की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जो की एक गम्भीर अनियमितता है। अतः पंचायत राजस्व से सम्बन्धित उक्त अभिलेख को प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व इस संदर्भ में कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8 अनुदान ₹ 6.11 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-16 तक अनुदान ₹6.11 लाख उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने

के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 224 दिनांक 20-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टौरू को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत टौरू द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापन सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 0.45 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 44632 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 225 दिनांक 15-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टौरू को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत टौरू द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. क्रय की गई ₹0.42 लाख की निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखाकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु पंचायत के अवधि 04/13 से 3/16 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर ₹41562 की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : 225 दिनांक 20-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टौरू को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत टौरू द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः औचित्य स्पष्ट करते हुए

स्टॉक प्राप्ति व उपभोग सम्बन्धी अभिलेख पूर्ण किया जाए व पालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

- 11 बिल/वाउचर न प्रस्तुत करने बारे :-** अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या : 31 माह 12/15 ₹ 6897/- जोकि सामान्य रोकड़ वही पृष्ठ 53 पर दर्ज है को अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु नहीं प्रस्तुत किया गया जिसके अभाव में भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी अतः : औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त अभिलेख को ढूँढ कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 विहित रजिस्ट्रारों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रारों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रारों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण अधियाचना संख्या : - 226 दिनांक 20-10-16 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत टौरू को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव ,ग्राम पंचायत टौरू द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम	फार्म न०	संदर्भित नियम
1.	ग्रह-कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77 (4)
2.	मोबाइल टाबर रजिस्टर		
3.	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर		
4.	निर्माण कार्यो का रजिस्टर	31	95 (1)
5.	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
7.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	21	61(1)
8.	खाताबही	7	29 (1)

13 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है ,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे ,सकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही ।

15 लघु-आपति विवरणिका:- लघु आपतियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है ।

16 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है ।

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल०ए०)एच(पंच)15(2) 62/2016-खण्ड-1-1142-1145 दिनांक: 20.02.2017
शिमला-171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत टौरु, विकास खण्ड नगरोंटा बगवाँ, जिला काँगड़ा, (हि०प्र०), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि०प्र०
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोंटा बगवाँ, जिला काँगड़ा, हि०प्र०

हस्ता /—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.